

आश्रित की श्रेणी - (चिकित्सा नियमावली 2018 के अनुसार)

- कर्मचारी की पत्नी/पति/बच्चे/माता-पिता शामिल हैं।
- पेंशन प्राप्त करने वाले माता-पिता को आश्रित नहीं माना जाएगा।
- पुत्र, जब तक वह कमाना (आय) शुरू नहीं कर देता या 30 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता (जो भी पहले हो) आश्रित माना जाएगा।
- बेटी, जब तक वह कमाना (आय) शुरू नहीं कर देती या उसकी शादी नहीं हो जाती, (जो भी पहले हो) आयु सीमा के बावजूद उसे आश्रित माना जाएगा।
- आश्रित बच्चों के लिए आयु का प्रतिबंध कर्मचारी के शारीरिक रूप से विकलांग या मानसिक रूप से विकलांग/विकलांग बच्चों पर लागू नहीं होगा।
- आश्रित के रूप में विचार के लिए PHP आश्रित को नियोजित या स्वयं कमाई नहीं करनी चाहिए। इस सुविधा का दावा करने के लिए संबंधित कर्मचारी को इस आशय का एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- कर्मचारी को सरकारी अस्पताल से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा जिसमें यह बताया गया हो कि बच्चा पूर्ण स्थायी विकलांगता से पीड़ित /मानसिक रूप से विकलांग है।
- महिला कर्मचारियों के पास अपने माता-पिता के बदले अपने सास-ससुर को आश्रित घोषित करने का विकल्प होगा। माता-पिता के लिए आश्रित की परिभाषा वही रहेगी। इस मामले में महिला कर्मचारी द्वारा इस्तेमाल किया गया विकल्प कंपनी में पूरी सेवा अवधि के दौरान केवल एक बार बदला जा सकता है।

नोट: फोटो और संबंधित दस्तावेज (पहचान पत्र, जिसमें आश्रित का नाम/जन्म तिथि/फोटो उपलब्ध हो) अपलोड करना आवश्यक होगा।